न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 44/2015 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2015/00032

उनवान

1– सीताराम आत्मज भैरूलाल जाति ब्राहाण निवासी ग्राम माधोपुर तहसील कनवास, जिला कोटा
2– सुमित्रा पत्नि सीताराम जाति ब्राहाण निवासी माधोपुर तहसील कनवास
3– माफी मंदिर ठाकुर जी राधारमण जी विराजमान माधोपुर नाबालिग जर्ये पुजारी सीतराम पुत्र भैरूलाल जाति ब्राहाण निवासी माधोपुर तह0 कनवास

(अपीलाण्ट)

बनाम

1– नीरजा पत्नि श्री रामावतार जाति पूर्विया राजपूत निवासी ग्राम माधोपुर तहसील कनवास,जिला कोटा
2– अलका पत्नि सुरेन्द्र कुमार जाति पूर्विया राजपूत निवासी ग्राम माधोपुर तहसील कनवास,जिला कोटा
3– स्वर्गीय धन्नालाल पुत्र मांगीलाल जाति पूर्विया राजपूत निवासी ग्राम माधोपुर तहसील कनवास,जिला कोटा मृतक कायम मुकामान :–
3/1– लीलाधर
3/2– जयसिह पिसरान स्वर्गीय धन्नालाल पुत्र मांगीलाल जाति पूर्विया राजपूत निवासी ग्राम माधोपुर तहसील कनवास,
3/3– भूली बाई पत्नि स्वर्गीय धन्नालाल पुत्र मांगीलाल जाति पूर्विया राजपूत निवासी ग्राम माधोपुर तहसील कनवास
4– बाबूलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति पूर्विया राजपूत निवासी ग्राम माधोपुर तहसील कनवास
5– किशनगोपाल आत्मज शिवशंकर जाति तेली राठोर, निवासी कनवास तहसील कनवास ।

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल (अभिभाषक रेस्पोडेन्टस)

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार कनवास आदेश दिनांक 10.6.2015 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

निर्णय_ दिनांकः– 5/12/2025

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम जगदीशपुरा पटवार मण्डल जालिमपुरा तहसील कनवास के खसरा नम्बर 76,51,52,45,38 से लगी हुई मेडो पर से दोनो ओर खसरानम्बर के मध्य से दोनो ओर 6–6 फीट भूमि ली जाकर 12 फीट का रास्ता कृषि उपकरण लाने व ले जाने का खुलासा किये जाने का आदेश करने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास के समक्ष राजस्व लोक अदालत केम्प ढोटी में रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना दिनांक 4.6.2015 को प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र की सूचना अपीलान्ट को दिये बिना ही, सुनवाई एवं जवाब देही तथा शहादत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना है हुकम जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 बी धारा 251 में प्रावधान है राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 4.9.1982 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तारीख से 45 दिन की अवधि में कार्यवाही करने का अधिकार केवल संबधित ग्राम पंचायत के पास है निर्धारित अवधि में प्रकरण का निस्तारण नही किये जाने पर ग्राम पंचायत के पास अधिकारिता नही रहती है उस स्थिति में प्रकरण का निस्तारण किये जाने का अधिकार तहसीलदार के पास होता है। इस प्रकरण में रास्ता खुलासा करने बाबत् रेस्पों0 द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 4.6.2015 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत को प्रैषित नही किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 व भू0राजस्व अधिनियम 1956 तथा व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानो के विपरीत सर्वथा गलत किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को आदेश गैरकानूनी होने से निरस्त योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही फरमाया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें केवल अपीलांट न.1 को ही पक्षकार बनाया है। खसरा न. 76 के खातेदार जो उक्त प्रकरण में उचित पक्षकार सीताराम,रामावतार पुत्र नन्द किशोर, जाति पूर्विया राजपूत को पक्षकार बनाये बिना ही तथ्यो को छुपाकर हुकम जैर अपील पारित करवा लिया जो निरस्तनीय है।

अतः अपील प्रस्तुत करन निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर हुकम जैर अपील निरस्त फरमावे। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. द्वारा दिनांक 4.6.2013 कों प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । बसूरत दिगर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रैषित फरमाया जावे कि वह अपीलान्ट नम्बर 2 व 3 को पक्षकार बनाकर व खसरा नम्बर 76 के खातेदारान् को भी पक्षकारान् बनाकर पुनः सुनवाई व जवाब देंही व शहादत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः नियमानुसार निर्णय प्रदान करे।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

सुनवाई व जवाब देंही व शहादत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः नियमानुसार निर्णय प्रदान करे।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से वकील श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल द्वारा वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में विधमान रास्ता को ही खुलासा किया गया है नया रास्ता कायम नही किया गया है। सम्वत् 2011 से 12 अर्थात सन् 1954–55 के नक्शे के मुताबिक प्रार्थी/ रेस्पोडेन्ट के खेत का रास्ता स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है जो खसरा न0 37 सिचायचक आम रास्ता दर्ज है मुताबित रेकार्ड सन् 1954–55 सिवायचक आम रास्ता दर्ज है। सीताराम अपीलान्ट द्वारा हाल खसरा नम्बर 51 की 0.22 है0भूमि मदन,चतरा पुत्र धन्ना से खरीद की है एवं अपीलान्ट क्रम 2 सुमित्रा के खसरा नम्बर 53,54,55 की आराजी में सिवायचक आम रास्ता मिलाकर रास्ता बंद कर दिया जिसका उनको कोई अधिकार नही था। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

पत्रावली मे बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त अपील अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 3.9.2015 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुई है। विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर होना अंकित किया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

पत्रावली में दौराने बहस वकील अपीलांन्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर देते हुए नियमों के विरूद्व जाकर गैरकाननी निर्णय पारित किया गया है,जिसे निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रैंषित किया जावे कि अधीनस्थ न्यायालय पुनः अपीलान्ट को पक्षकार बनाकर सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित करे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में विधमान रास्ता को ही खुलासा किया गया है नया रास्ता कायम नही किया गया है। सम्वत् 2011 से 12 अर्थात सन् 1954–55 के नक्शे के मुताबिक प्रार्थी/ रेस्पोडेन्ट के खेत का रास्ता स्पष्ट रूपसे दर्शाया गया है जो खसरा न0 37 सिचायचक आम रास्ता दर्ज है मुताबित रेकार्ड सन् 1954–55 सिवाय चक आम रास्ता दर्ज है। सीताराम अपीलान्ट द्वारा हाल खसरा नम्बर 51 की 0.22 है0भूमि मदन,चतरा पुत्र धन्ना से खरीद की है एवं अपीलान्ट क्रम 2 सुमित्रा के खसरा नम्बर 53,54,55 की आराजी में सिवायचक आम रास्ता मिलाकर रास्ता

अति. जिला कलक्टर
कोटा

बंद कर दिया जिसका उनको कोई अधिकार नही था। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

पत्रावली में अभिभाषक अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील तहसीलदार कनवास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.6.2015 के विरूद्व पेश हुई है। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड निर्णय दिनांक 10.6.2015 का अवलोकन किया गया तहसीलदार कनवास द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित लोक अदालत अभियान 2015 के दौरान अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ता खुलासा करने के में संबध प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार कनवास द्वारा बाद सुनवाई आदेश पारित किया जाना प्रतीत होने से तहसीलदार कनवास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.06.2015 में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित लोक अदालत या अन्य केम्पो के माध्यम से मौके पर ही पक्षकारान् की समस्याए यथा रास्ता,सीमाज्ञान,खाताशुद्वि, के निस्तारण किया जाता है। न्यायालय का यह मानना है कि काश्तकारो की मुख्य समस्या है रास्ता जिसे खुलासा करना आवश्यक् है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास द्वारा दिनांक 10.6.2015 में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः अपीलांन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नही होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

अति॰ जिला कलेक्टर
कोटा